राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय,पंत कृषि भवन, जयपुर
दूरभाष नं. 0141–5101965 ई–मेल jdagr_atc1@rediffmail.com

क्रमांक– एफ8(5) एटीसी/पीकेवीवाई/2016–17/ दिनांक–

समस्त उपनिदेशक कृषि (विस्तार)
जिला परिषद.....

विषय :– कृषकों को कम्पोस्ट पिट बनाने हेतु प्रोत्साहित करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान की अधिकांश खेती योग्य भूमि में ऑर्गेनिक कार्बन की कमी है, जिससे फसल उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पडता है। इस कमी को पूरा करने के लिये आवश्यक है कि भूमि में ऑर्गेनिक पदार्थ की आपूर्ति की जावे, जिसके लिए कृषक के पास उपलब्ध गोबर, कचरा, फसलों के अवशेष आदि को गला सडाकर खेत में प्रयोग करने की सलाह देवें तथा कृषक को कम्पोस्ट पिट तैयार कर कम्पोस्ट खाद बनाने के लिए प्रोत्साहित करे। कम्पोस्ट पिट का उपयुक्त साईज 10x8x3 फीट है। कृषक अपनी आवश्यकता अनुसार इसकी लम्बाई एवं चौडाई में कम ज्यादा कर सकता है। गड्ढे की गहराई 3 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिये ताकि पिट में उपयोग लिये गये कूडा–करकट, गोबर, फसल अवशेष आदि का सड़ाव ठीक से हो सके। कृषक मेले, कृषक गोष्ठियों, कृषक प्रशिक्षण, समाचार पत्र, पम्पलेट, लीफलेट आदि के माध्यम से इसका पूर्ण प्रचार–प्रसार किया जावे। कम्पोस्ट पिट निर्माण पर होने वाला व्यय कृषक द्वारा स्वयं वहन किया जावेगा। प्रत्येक माह इसकी मोनिटरिंग भी की जावे तथा प्रगति से आयुक्तालय को भी अवगत करावें।

(डॉ. नीरज कुमार पवन)
आयुक्त एवं पदेन विशिष्ट शासन सचिव, कृषि

क्रमांक– एफ8(5) एटीसी/पीकेवीवाई/2016–17/ 216-79 दिनांक– 28-4-2016

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अतिरिक्त निदेशक, कृषि (आदान, अनुसंधान/विस्तार/समन्वय) मुख्यालय, जयपुर।
2. समस्त संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खण्ड..... को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीनस्थ जिलों में अधिक से अधिक कम्पोस्ट पिट का निर्माण कराने हेतु प्रभावी मोनिटरिंग करें।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, कृषि, मुख्यालय, जयपुर।
4. PRO
5. ACP

(डॉ. नीरज कुमार पवन)
आयुक्त एवं पदेन विशिष्ट शासन सचिव, कृषि